कार्यालय–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

Budget Section 0151-2226564, E-Mail- budgetele.edu@gmail.com

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / बजट / बी–1 / 2020–21 / 01 **दिनांक 01 / 04 / 20**

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।

विषयः– वर्ष 2020–21 के लिए विस्तृत मद 01–संवेतन में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– वित्त विभाग का परिपत्र

1. क्रमांक प.4(1)वित्त–1(1)आ–व्यय / 2020 दिनांक 27.03.2020
2. क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ–व्यय / 2004 पार्ट 1 दिनांक 27.03.2020 एवं
3. क्रमांक एफ.1(4)एफ.डी. / जी.एफ.एण्ड ए.आर. / 2006 दिनांक 31.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश दिनांक 27.03.2020 के क्रम में विभाग को वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए IFMS पर बजट प्रावधान उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात् विभाग के समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विस्तृत मद 01–संवेतन में बजट का आवंटन उनकी IFMS ऑफिस आईडी पर Online उपलब्ध करवा दिया गया है। अतः सभी आहरण–वितरण अधिकारी IFMS पर उनको सम्बन्धित लेखामदों में आवंटन किए गए बजट के आधार पर अधिनस्थ शिक्षकों / कार्मिकों का माह मार्च, 2020 पेड अप्रैल, 2020 के वेतन बिल तैयार कर वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेशों के अनुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

1. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.03.2020 के द्वारा COVID-19 Lockdown के कारण माह मार्च, 2020 देय वेतन अप्रैल, 2020 के लिए राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन के कुछ हिस्से को स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके क्रम में –
   - i. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सकल वेतन में से 60% Deferment किया जाना है जो कि 19 दिवस के वेतन तक होगा।
   - ii. राज्य सेवा एवं अधिनस्थ सेवा के अधिकारियों के लिए सकल वेतन का 50% जो कि 16 दिवस के वेतन के बराबर होगा, का Deferment किया जाना है।
   - iii. अन्य कर्मचारियों के लिए Deferment सकल वेतन का 30%, जो कि 09 दिवस के वेतन के बराबर होगा, तक किया जाना है।
   - iv. विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ऐसे कर्मचारी जिनका वेतनमान पे–मैट्रिक L-1 से L-4 तक है उनके वेतन से कोई Deferment नहीं किया जाना है।
   - v. माह मार्च, 2020 के वेतन बिल से अधिकारियों / कर्मचारियों के GPF एवं SI की कटौती नहीं की जानी है।
   - vi. NPS की कटौती Deffered राशि के अनुसार ही की जानी है।
2. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.03.2020 के द्वारा जो अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए कोविड–19 महामारी के परिदृश्य में आर्थिक सहायता के रूप में, जो मूल वेतन (Basic Salary) के जितने दिनों की कटौती की जानी है, वह की जाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष के लेखामद 8448–120–07–10 कोरोना वायरस (कोविड–19) में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. वेतन बिल विगत महीनों में जिस प्रकार से तैयार किए गए थे उसी तरह से तैयार किए जाने हैं, जिस DDO के Digital Signature चालू हो गए हैं, वे Digital Signature वाले डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें और उसको पे–मैनेजर पर Authorisation Menu में जाकर अपलोड कर दें। इससे स्कैन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अथवा पूर्व की तरह ही बिल मुद्रण करें और उसके साथ अटैचमेन्ट लगाये, DDO के हस्ताक्षर करवाए और स्कैन करके पे–मैनेजर के Authorisation Menu में जाकर अपलोड कर दे।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा विभाग के नीचे लिखे लेखामदों के स्थान पर नए लेखामद खोले गए हैं, अतः मार्च, 2020 का वेतन नए लेखामद में आवंटित बजट से ही बनाए जाने है, जिसका विवरण नीचे लिखे अनुसार है :–

www.rajteachers.com

प्रारम्भिक शिक्षा के एस.एस.ए. से संबंधित लेखामद जो परिवर्तित हुए हैं

क्र.सं.	वर्ष 2019–20 में प्रचलित लेखामद	वर्ष 2020–21 में नवीन परिवर्तित लेखामद
1.	2202–01–111–01–00	2202–01–113–01–01
2.	2202–01–111–02–00	2202–01–113–01–02
3.	2202–01–111–03–00	2202–01–113–01–03
प्रारम्भिक शिक्षा के डाईटों से संबंधित लेखामद जो परिवर्तित हुए हैं		
4.	2202–80–003–03–00	2202–01–113–02–01
5.	2202–80–789–01–00	2202–01–113–02–02
6.	2202–80–796–03–00	2202–01–113–02–03

समस्त कार्यालयों/विद्यालयों को परिवर्तित लेखामदों के अनुसार ही वर्ष 2020–21 के लिए वेतन का बजट IFMS पर Online जारी कर दिया गया है। अतः अब उपर्युक्तानुसार नये लेखामदों में ही बजट का आहरण करना है। लेखामदों में स्वीकृत पद पुराने लेखामदों में ही शाला दर्पण के अनुसार ही आवंटित रहेंगे। नए लेखामदों में पदों का आवंटन राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जारी किया जाएगा।

अतः समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट में से माह मार्च, 2020 का वेतन आहरण वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेशों की तथा उपर्युक्त अंकित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए आहरण किया जावे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/बजट/बी–1/2020–21/01 **दिनांक 01/04/20**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
4. स्टाफ ऑफिसर निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com